29/6/16 आज यह पत्र, सैशन कोर्ट इटावा में प्रस्तुत वादी अधिवक्ता व प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित हुए, दोनों पक्षों का कथन सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद मुकदमा सं. 1133 वर्ष 2016 इटावा में मान्य है जो दोनों पक्षों की सहमति में नहीं है। वादी को मार्ग एक्सेस देता वह अपनी आराजी की देखरेख करने का स्वतन्त्र है। अतः इस प्रकार योग्य है वादी का वाद स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली नस्ती की जाय। वाद अधिवक्ता द्वारा दाखिल इकरारनामे के आधार पर सैशन कोर्ट में निस्तारण आज सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
औरैया (इटावा)

रजिस्टर

Pamphlet

Scanned by CamScanner